:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.) ::

कमांक: दिनांक:

:: संशोधित आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 51 दिनांक 28.10.2026 में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 22.11.2026 व 24.11.2026 के राजकीय अवकाशों में श्री किशन सान्दु, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए झालावाड़ न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन, मृत्युकालीन कथन, धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा करना शामिल है, को दिनांक 22.11.2026 व 24.11.2026 के राजकीय अवकाशों में करने के लिए श्री यशवंत आमेरिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालरापाटन, जिला झालावाड को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

कमांक: 1826-31 दिनांक: 17.11.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:—

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़
02. श्री किशन सांदु, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड
03. श्री यशवंत आमेरिया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालरापाटन, झालावाड
04. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
07. आदेश/संबंधित पत्रावली।
08. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की **Website-jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़।